उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-36/2019/483/92-2-19-03टीएसी/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 22 फरवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच आख्या में सहायक अभियंता के रूप में ग्राम-मेचुका, विकास खण्ड-बासी में पिच रोड एवं इण्टरलांकिग कार्य तथा अधिशासी अभियंता के रूप में ग्राम-जिगना हबीबपुर, विकासखण्ड-भनवापुर में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य में परिलक्षित शासकीय क्षति एवं अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0एस0 उपाध्याय, तत्का0 सहायक अभियंता, सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-116/2018/2125/92-2-18-3टीएसी/2017 दिनांक 14-08-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के पत्र सं0-1679/ ग्रा0अ0वि0/ जांच-एस0टी0-कानपु0/2017-18 दि 10-01-2019 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री एस0एस0 उपाध्याय, तत्का0 सहायक अभियंता, सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रा0 अभि0वि0, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री उपाध्याय के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 14-08-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-36/2019/483/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

2- श्री एस0एस0 उपाध्याय, तत्का0 सहा0अभि0, सम्प्रति अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-सिद्धार्थ नगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in